<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (रेप एण्ड पाक्सो एक्ट, कोर्ट नं.–२,) आजमगढ़।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–३४८/२०२२

सरकार बनाम भवन केवट

मु०अ०सं०–१२३/२०११

अंतर्गत धारा–२७२ भा०दं०सं० तथा ६०/६२ आबकारी अधिनियम

थाना–कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।

<u>दिनाँकः ०१.१२.२०२२</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **भवन केवट** व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के बिन्दु पर सुना गया।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त **भवन केवट** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा**– २७२ भा०दं०सं० व ६०/६२ आबकारी अधिनियम** का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की। पत्रावली दिनाँक ....को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

<u>दिनाँकः ०१.१२.२०२२</u>

(जितेन्द्र यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(रेप एण्ड पाक्सो एक्ट कोर्ट नं०–०२),
आजमगढ़।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (रेप एण्ड पाक्सो एक्ट, कोर्ट नं.–२,) आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या–३४८/२०२२

सरकार बनाम भवन केवट

मु०अ०सं०–१२३/२०११

अंतर्गत धारा–२७२ भा०दं०सं० तथा ६०/६२ आबकारी अधिनियम

थाना–कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं **जितेन्द्र यादव** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रेप एण्ड पाक्सो एक्ट, कोर्ट नं० २, आजमगढ़ आप अभियुक्त **१– भवन केवट** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक ०७.०२.२०११ को समय करीब १६.०० बजे बहद स्थान सेहदा जंगल तिराहा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ में सीमान्तर्गत पुलिस द्वारा आपके कब्जे से १ जरीकैन में १० लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद की गयी, जिसको रखने हेतु आपके पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–६०/६२ आबकारी अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके कब्जे से १ जरीकैन में १० लीटर अवैध शराब बरामद की गयी, जिसे आपने यह जानते हुए कि इसको पेय के रूप में बेचा जायेगा, ऐसे अपमिश्रित किया कि ऐसी वस्तु पेय के रूप में अपायकर बन जाये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–२७२ भा.दं.सं.** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँकः ०१.१२.२०२२

(जितेन्द्र यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(रेप एण्ड पाक्सो एक्ट कोर्ट नं०–०२),
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त उपरोक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया व उससे पूछा गया कि वे जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं या विचारण चाहते हैं? अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व परीक्षण की याचना किया।

दिनाँकः ०१.१२.२०२२

(जितेन्द्र यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(रेप एण्ड पाक्सो एक्ट कोर्ट नं०–०२),
आजमगढ़।